



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221236  
CG-DL-E-19082020-221236

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2020/श्रावण 28, 1942

No. 409]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020/SHRAVANA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 515(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं अथवा [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in); पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

### प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) अन्यथा, बशर्ते इन नियमों में यथानिहित, आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, प्रपत्र 20 में, क्रम सं. 4 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे: -

“4 क. स्वामित्व प्रकार .....

1. स्वायत्त निकाय
2. केन्द्रीय सरकार
3. धर्मार्थ न्यास
4. ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
5. दिव्यांगजन

(क) जीएसटी रियायत प्राप्त करना

(ख) जीएसटी रियायत प्राप्त किए बगैर

6. शैक्षणिक संस्थान
7. फर्म
8. सरकारी उपक्रम
9. व्यक्तिगत
10. स्थानीय प्राधिकरण
11. बहु स्वामी
12. अन्य
13. पुलिस विभाग
14. राज्य सरकार
15. राज्य परिवहन निगम/विभाग

[फा. सं. आरटी-11036/57/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित ..... द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**New Delhi , the 18<sup>th</sup> August, 2020

**G.S.R. 515(E).**—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

The objections or suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

**Draft Rules**

1. (1) **Short title and commencement.** -These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in Form 20, after serial number 4, the following shall be inserted: -

“4A. Ownership type .....

1. AUTONOMOUS BODY
2. CENTRAL GOVERNMENT
3. CHARITABLE TRUST
4. DRIVING TRAINING SCHOOL
5. **DIVYANGJAN**

**(a) AVAILING GST CONCESSION****(b) WITHOUT AVAILING GST CONCESSION**

6. EDUCATIONAL INSTITUTE
7. FIRM
8. GOVT. UNDERTAKING
9. INDIVIDUAL
10. LOCAL AUTHORITY
11. MULTIPLE OWNER
12. OTHERS
13. POLICE DEPARTMENT

14. STATE GOVERNMENT
15. STATE TRANSPORT CORP/DEPT”.

[F. No. RT-11036/57/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:**The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R .....(E), dated.....